उत्तर प्रदेश शासन
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-1371/ग्यारह-9(159)/15-उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(141)-2015
दिनांकः 15 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 2007) की धारा 13 के खण्ड (उनतालीस) के साथ पठित धारा 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड दादरी एवं एन0टी0पी0सी0 लिमिटैड औरैया को उनके गैस आधारित विद्युत गृहों/परियोजनाओं में, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2/2015-टीएच-1 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा जारी योजना के अन्तर्गत केवल बेस पी एल एफ से अधिक वृद्धिपरक विद्युत उत्पादन में उपयोग हेतु प्राकृतिक गैस की स्थानीय क्षेत्र में, उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर के किसी स्थान से प्रवेश पर वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिये कर के संदाय से छूट प्रदान करते हैं।

श्री जोशी
मा0का0 हेतु
(ह0)
16/09/2015

आज्ञा से,
(ह0) 15/9/15
(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।